बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग]१—कार्यवाही-प्रश्नोत्तर)

वृहस्पतिवार, तिथि २८ मार्च, १९७४

विषय-सूची

	पृष्ठ
परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर) :	
बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के नियम ४II के परन्तुक के अन्तर्गत प्रश्नों के लिखित उत्तरों का सभा-मेज पर रखा जाना ।	१—४५९
दैनिक निबंध	४६१

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

वृहस्पतिवार, तिथि २८ मार्च, १९७४ ।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा-सदन में वृहस्पतिवार, तिथि २८ मार्च, १९७४ को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष श्री हरिनाथ मिश्र के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ ।

परिशिष्ट

प्रश्नों के लिखित उत्तरों का सभा-मेज पर रखा जाना ।

श्री दारोगा प्रसाद राय—महाशय, मैं षष्ठ बिहार विधान-सभा के सप्तम सत्र के २४ अनागत अल्प-सूचित, ८९,८८ तारांकित एवं ५६,४६ अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ४(॥) के परन्तुक के अन्तर्गत सदन की मेज़ पर रखता हूं ।

सूची ।

क्रम सं० ।	सदस्य का नाम ।		अल्प-सूचित प्रश्न संख्या ।
१	श्री कपिलदेव सिंह	....	अ-सू-४
२	श्री गजेन्द्र प्रसाद 'हिमान्शु'	....	अ-सू-३७
३	श्री नन्द कुमार सिंह	...	अ-सू-२२८
४	श्री राम नारायण साह	...	अ-सू-३३

टिप्पणी—राज्य में उत्पन्न असामान्य स्थिति के कारण प्रश्नोत्तर स्थगित रहा ।

सरकारी आदेश संख्या ७१२३-सी०, दिनांक २४ सितम्बर १९५७ के द्वारा ३० रु० की महावारी पेंशन राज्य कोष ने स्वीकृत किया गया था।

(२) और ३) राज्य सरकार की वर्त्तमान राजनीतिक पीड़ित साहाय्य योजना के अन्तर्गत किसी भी राजनीतिक पीड़ित या उनके वारिसों को नौकरी इत्यादि में राजनीतिक पीड़ित होने के कारण किसी विशेष प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है। इस प्रकार की सुविधा पूर्व में राज्य सरकार द्वारा दिया जाता था पर ३१ दिसम्बर १९५१ के पश्चात् ये सुविधायें बन्द कर दी गईं।

श्री सिंह के बकाये वेतन का भुगतान।

खा-२३। श्री सगीर अहमद—क्या मंत्री, आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग के निम्नवर्गीय सहायक श्री चन्द्रिका सिंह की दस वर्षों की सेवा विभाग ने ज्ञाप संख्या १९१७४, दिनांक २१ नवम्बर १९६८ द्वारा समाप्त कर दी गई थी;

(२) क्या यह बात सही है कि श्री सिंह को रीइन्सटेट करने का आदेश विभागीय ज्ञापांक ८९६, दिनांक १४ जनवरी १९७२ द्वारा गया था,

(३) क्या सेवा समाप्त करने के पूर्व श्री सिंह को कोई आरोप-पत्र या कारण बताओ नोटिश दी गई थी;

(४) क्या यह बात सही है कि श्री सिंह का तिथि २१ नवम्बर १९६८ से १४ जनवरी १९७२ तक की अवधि का वेतन नहीं दिया गया है; यदि हां, तो क्यों तथा सरकार उन्हें बकाये वेतन का भुगतान कराना चाहती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री, आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(३) उत्तर नकारात्मक है वस्तुस्थिति यह है कि श्री सिंह की नियुक्ति इस विभाग में निम्नवर्गीय सहायक के अस्थायी पद विरुद्ध तदर्थ रूप से अस्थायी रूप में हुई थी। किन्तु अस्थायी कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने के लिये उन्हें

कारण बताओ नोटिश देने की आवश्यकता नहीं है। अतएव इन्हीं कारणों से श्री सिंह को सेवा समाप्त करने के पूर्व उन्हें कारण बताओ नोटिश नहीं दी गयी थी क्योंकि वे भी एक अस्थायी कर्मचारी ही थे।

(४) यह बात असत्य है कि श्री सिंह को तिथि २१ नवम्बर १९६८ से १४ जनवरी १९७२ तक की अवधि का वेतन भुगतान नहीं किया गया है।

वास्तविकता यह है कि दिनांक २१ नवम्बर १९६८ के अपराह्न से सेवा समाप्त को जाने के कारण उस दिन का वेतन श्री सिंह पहले ही प्राप्त कर चुके थे।

फिर सेवा में पुनः ले लिये जाने के बाद दिनांक २२ नवम्बर १९६८ से १४ जनवरी १९७२ तक (जिसमें इन्होंने सरकार की कोई सेवा नहीं की थी) की अवधि के लिये इन्हें निम्न प्रकार भुगतान किया गया है :—

(क) दिनांक २२ नवम्बर १९६८ से २१ मार्च १९६९ तक इन्हें उपार्जित छुट्टी स्वीकृत की गई है जिससे इसका पूर्ण वेतन उन्हें मिलता है।

(ख) उपार्जित छुट्टी नहीं रहने के कारण श्री सिंह को दिनांक २२ मार्च १९६९ से १७ अगस्त १९६९ तक १४९ दिनों को अर्द्धवैतनिक छुट्टी दी गई है जिसके कारण इन्हें इस अवधि का आधा वेतन मिला है।

(ग) दिनांक १८ अगस्त १९६९ से १४ जनवरी १९७२ तक इन्हें ८८० दिनों की असाधारण छुट्टी दी गई है जिसके कारण इस अवधि का इन्हें वेतन नहीं मिला है।

वर्त्तमान परिस्थिति में सरकार उन्हें दिनांक १८ अगस्त १९६९ से १४ जनवरी १९७२ तक की असाधारण छुट्टी का वेतन देने में पूर्णतः असमर्थ है क्योंकि यह नियमानुकूल नहीं है।

पूल का निर्माण।

प्र-७०। श्री साधु शरण शाही—क्या मंत्री, सिंचाई विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत कदाने फरदो की